एमएसएमई के लिए नीति

एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा

(i) सूक्ष्म उद्यम - जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और टर्नओवर पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

(ii) लघु उद्यम - जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और टर्नओवर पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

(iii) मध्यम उद्यम - जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और टर्नओवर दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार का समिश्र मानदंड

(i) किसी उद्यम को सूक्ष्म, लघु या मध्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निवेश और कारोबार का एक संयुक्त मानदंड लागू होगा।

(ii) यदि कोई उद्यम निवेश या टर्नओवर के दो मानदंडों में से किसी एक में अपनी वर्तमान श्रेणी के लिए निर्दिष्ट उच्चतम सीमा को पार करता है, तो वह उस श्रेणी में नहीं रहेगा और अगली उच्च श्रेणी में रखा जाएगा, लेकिन कोई भी उद्यम को निचली श्रेणी में तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि वह निवेश और टर्नओवर दोनों के मानदंडों में अपनी वर्तमान श्रेणी के लिए निर्दिष्ट सीमा से नीचे नहीं जाता है।

(iii) एक ही स्थायी खाता संख्या (पैन) के समक्ष सूचीबद्ध वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) वाली सभी इकाइयों को सामूहिक रूप से एक उद्यम के रूप में माना जाएगा और ऐसी सभी संस्थाओं के लिए कारोबार और निवेश के आंकड़े एक साथ देखे जाएंगे और केवल सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में श्रेणी तय करने के लिए समिश्र मूल्यों पर विचार किया जाएगा।

संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश की गणना

(i) संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दायर पिछले वर्षों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) से जुड़ी होगी।

(ii) नए उद्यम के मामले में, जहां कोई पूर्व आईटीआर उपलब्ध नहीं है, निवेश उद्यम के प्रमोटर की स्व-घोषणा पर आधारित होगा और इस तरह की छूट वित्तीय वर्ष के 31 मार्च के बाद समाप्त हो जाएगी जिस वर्ष वह अपना पहला आईटीआर फाइल करता है ।

(iii) उद्यम की अभिव्यक्ति "संयंत्र और मशीनरी या उपकरण" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत बनाए गए आयकर नियम, 1962 में संयंत्र और मशीनरी को समुनेदेशित किया गया है और इसमें सभी मूर्त आस्तियां (भूमि और भवन, फर्नीचर और फिटिंग के अलावा) शामिल होंगे।

(iv) उद्यम पंजीकरण के लिए ऑनलाइन फॉर्म प्रासंगिक पिछले वर्ष के प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को मूल्यह्रास लागत को दर्शाता है। इसलिए, सभी उद्देश्यों के लिए संयंत्र और मशीनरी या उपकरण के मूल्य का अर्थ वित्तीय वर्ष के अंत में अवलिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) होगा न कि अधिग्रहण की लागत या मूल मूल्य जैसा कि आयकर अधिनियम में परिभाषित किया गया है ।

टर्नओवर की गणना

(i) वर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए, सूक्ष्म, लघु या मध्यम किसी भी उद्यम के टर्नओवर की गणना करते समय वस्तु या सेवाओं या दोनों को निर्यात से बाहर रखा जाएगा।

(ii) उद्यम के लिए टर्नओवर और निर्यात टर्नओवर के संबंध में जानकारी आयकर अधिनियम या केंद्रीय वस्तु एवण सेवा अधिनियम (सीजीएसटी अधिनियम) और जीएसटीआईएन से जुड़ी होगी।

संयंत्र और मशीनरी या उपकरण या टर्नओवर या दोनों में निवेश में परिवर्तन पर पुनर्वर्गीकरण

संयंत्र और मशीनरी या उपकरण या टर्नओवर या दोनों में निवेश के मामले में उत्तरोतर परिवर्तन और परिणामी पुनर्वर्गीकरण के मामले में, उद्यम पंजीकरण के वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष तक अपनी मौजूदा स्थिति को बनाए रखेगा। किसी भी उद्यम के विपरीत क्रमिक वृद्धि के मामले में, चाहे पुन: वर्गीकरण के परिणामस्वरूप या संयंत्र और मशीनरी या उपकरण या टर्नओवर या दोनों में निवेश में वास्तविक परिवर्तन के कारण, और उद्यम अधिनियम के तहत पंजीकृत है या नहीं, उद्यम वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अपनी वर्तमान श्रेणी में जारी रहेगा और इसे परिवर्तित स्थिति का लाभ केवल उस वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल के प्रभाव से किया जाएगा, जिस वर्ष ऐसा परिवर्तन होगा।

प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के तहत एमएसएमई का वर्गीकरण

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे।

सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई क्षेत्र) के तहत लक्ष्य

आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार

i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दी जानेवाली ऋण में वर्ष-दर-वर्ष न्यूनतम 20 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए

ii) सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि और

iii) पिछले 31 मार्च को एमएसई क्षेत्र को कुल उधार का 60% सूक्ष्म उद्यमों को दिया जाना चाहिए

iv) सूक्ष्म उद्यमों के लिए एएनबीसी के 7.5 प्रतिशत या तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर के समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अन्य दिशानिर्देश:

सभी एमएसएमई उद्यमों (मौजूदा और नए) से 'उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र' प्राप्त किया जाएगा।

आवेदनों का निपटान

चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेजों के साथ सभी पहलुओं में पूर्ण एमएसएमई आवेदनों के निपटान के लिए आवधिक मानदंड निम्नानुसार हैं:

ए) 5 लाख रुपये तक ऋण	दो सप्ताह के अंदर
बी) 5 लाख रुपये से अधिक और 25 लाख रुपये तक	तीन सप्ताह के अंदर
सी) 25 लाख रुपये से अधिक	छह सप्ताह के अंदर

एमएसएमई ऋण आवेदन की अस्वीकृति:

एमएसएमई ऋणों के मामले में, मांगी गई सीमाओं की अस्वीकृति/कटौती, अगले उच्च प्राधिकारी के अनुमोदन से ही की जानी चाहिए।

समिश्र ऋण

सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र के उद्यमियों को एकल खिड़की के माध्यम से उनकी कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋण आवश्यकता का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए 1 करोड़ रुपये तक की समिश्र ऋण सीमा स्वीकृत की जा सकती है।

मुद्रा ऋण

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) ऐसे उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाकर और उन्हें वहनीय ऋण देकर 'अनिधिक को निधिक' करने के लिए शुरू किया गया था। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में गैर-कृषि उद्यम शामिल हैं जिनकी ऋण जरूरतें रु.10.00 लाख से कम हैं। आय अर्जन के लिए इस क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण के रूप में जाना जाता है और उसी के अनुसार ब्रांडेड किया जाता है। पीएमजेडीवाई के तहत मंजूर 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट राशि को भी पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 50,000 रुपये तक के ऋण को "शिशु" कहा जाता है, 50,001 रुपये से 5.00 लाख रुपये तक के ऋण को “किशोर” कहा जाता है और 5.00 लाख रुपये से अधिक से 10.00 लाख रुपये तक के ऋण को "तरुण" कहा जाता है।

मुद्रा ऋण पर जोर दिया जाता है और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। मुद्रा के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र स्तर के पदाधिकारियों को पूर्ण प्रयास करना चाहिए।

मुद्रा कार्ड

हमारे बैंक ने मुद्रा के साथ सह-ब्रांडेड एक विशेष रुपे डेबिट कार्ड की शुरुआत की है, जिसे मुद्रा कार्ड कहा जाता है। दिनांक 08.04.2015 से स्वीकृत सभी सूक्ष्म उधार खाते, जिनकी कुल ऋण सीमा 10.00 लाख रुपये तक है, इसके तहत कवर होते हैं। इसमें सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं, एमएसएमई के तहत हमारे बैंक संरचित ऋण उत्पाद और विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में गैर-कृषि उद्यमों को दिए गए सभी ऋण (आभूषण ऋण को छोड़कर) शामिल हो सकते हैं, जिनकी ऋण जरूरत रु.10.00 लाख से कम है। हमारे परिपत्र एडीवी/155/2015-16 दिनांक 09.12.2015 के अनुसार मुद्रा कार्ड के लिए दिशानिर्देश दिये गए हैं।

एमएसई कोड:

हमारे बैंक ने बैंकिंग कोड और भारतीय मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा निर्धारित संशोधित एमएसई कोड 2015 को अपनाया है और क्षेत्र स्तर के अधिकारियों को सूचित किया गया है कि वे परिपत्र एडीवी/208/2015-16 दिनांक 01.02.2016 द्वारा जारी एमएसई कोड के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण की उपलब्धता

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को उनके जीवन चक्र के दौरान समय पर और पर्याप्त ऋण की उपलब्धता की सुविधा के लिए ऋण की उपलब्धता को सुव्यवस्थित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 27.08.2015 के अपने अधिसूचना के जरिए से बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि एमएसई के लिए उनकी उधार नीतियों को सुव्यवस्थित और लचीला बनाया जाए ताकि संबंधित अधिकारियों को एमएसई को ऋण वितरण पर त्वरित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

(i) एमएसई के लिए पूंजीगत व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि को निधि देने के लिए पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण करते समय 'स्टैंडबाय क्रेडिट सुविधा' को मंजूरी दी जा सकती है। ऐसी 'अतिरिक्त ऋण सुविधाएं' प्रारंभिक वित्तीय समाप्ति के समय स्वीकृत की जाती हैं; लेकिन केवल तभी वितरित की जाती है जब लागत अधिक हो जाती है। उधारकर्ताओं/परियोजना के क्रेडिट मूल्यांकन के समय, उधारकर्ता की व्यवहार्यता और पुनर्भुगतान क्षमता का निर्धारण करते समय और प्रोजेक्ट ऋण इक्विटी अनुपात, कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात, अचल आस्ति कवरेज अनुपात आदि की गणना करते समय इस तरह की लागत में वृद्धि को भी ध्यान में रखा जाता है। इस तरह की 'स्टैंडबाय क्रेडिट सुविधा' का उद्देश्य, दूसरों के बीच, तेजी से ऋण देने के लिए होगी ताकि पूंजीगत आस्ति सृजन में देरी न हो और वाणिज्यिक उत्पादन जल्द से जल्द शुरू हो सके। अचल संपत्तियों की कुल लागत के अधिकतम 10% को पात्रता के आधार पर स्टैंड-बाय क्रेडिट सुविधा के रूप में माना जा सकता है, जबकि मंजूरी प्राधिकारी द्वारा पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण किया जाता है।

(ii) पूंजीगत व्यय की आवश्यकता के औचित्य के साथ पार्टी से अनुरोध के अधीन आवधिक पूंजीगत व्यय को निधि देने के लिए कार्यशील पूंजी सीमा का 25% 'स्टैंडबाय क्रेडिट सुविधा' के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है, ऐसा पूंजीगत व्यय एक वर्ष के भीतर आवश्यक है और मंजूरी प्राधिकरण को आवधिक पूंजीगत व्यय की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त होना चाहिए जिसके लिए ऋण पर विचार किया जा रहा है। इसे मीयादी ऋण के रूप में मंजूर किया जाना चाहिए।

(iii) कार्यशील पूंजी की स्वीकृति/नवीकरण के समय, **विशेष रूप से उत्पादित उत्पादों की मांग में** अप्रत्याशित/**मौसमी वृद्धि के कारण मुख्य रूप से उत्पन्न होने वाली कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं में अस्थायी वृद्धि को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी की एक अलग अतिरिक्त सीमा निर्धारित की जा सकती है। ऐसी सीमाएं** प्राथमिक रूप से जारी की जा सकती हैं, उन्हें जहां एमएसई द्वारा उत्पादित उत्पादों की मांग में वृद्धि के पर्याप्त सबूत **हैं। बैंक मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन तदर्थ सीमाओं को भी मंजूरी दे सकते हैं**, जिसे मंजूरी की तारीख से तीन महीने के भीतर नियमित किया जाना है।

(iv) हमारे पास छह महीने में एक बार ऋण सीमा की समीक्षा करने और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर वर्ष में एक बार सीमा के नवीनीकरण की प्रणाली है। हालांकि, एमएसई इकाइयों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण समयांतर के साथ, **वित्तीय वर्ष के समापन के बाद उपलब्ध** होंगे। **ऐसे मामलों में और जहां बैंक आश्वस्त हैं कि एमएसएमई उधारकर्ताओं के मांग पैटर्न में बदलाव के लिए मध्यावधि समीक्षा की आवश्यकता है**, वे ऐसा कर सकते हैं। इस तरह की मध्यावधि **की समीक्षा** एमएसएमई के **बिक्री** निष्पादन के आकलन पर आधारित **हो सकती है**, जो पिछली **समीक्षा के बाद से लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतीक्षा किए बिना हो सकती है। हालांकि**, इस तरह की **मध्यावधि समीक्षा को लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर बाद की नियमित समीक्षा के दौरान पुन**: मान्य **किया जाएगा। उधारकर्ता को एक वर्ष प्रतीक्षा करने की आवश्यकता** नहीं है और जब भी ऋण सीमा की आवश्यकता उत्पन्न होती है और **जब भी उधारकर्ता को थोक आदेश मिलते हैं, क्रेडिट सीमा बढ़**वाने के लिए, किसी भी समय बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

एमएसएमई क्षेत्र में ब्याज दरः

एमएसएमई क्षेत्र में ब्याज दर जोखिम आधारित है। ब्याज दर को प्रतिस्पर्धी बनाए रखा जाता है ताकि हमारे बाजार में प्रवेश, **व्यापक आधार वाले ग्राहक आधार को बढ़ाया जा सके और हमारे क्षेत्र स्तर के अधिकारियों को व्यवसाय** में वृद्धि **के लिए बाजार में बढ़त प्रदान की जा सके।**

10 करोड़ रुपये तक की ऋण सीमा वाले एमएसएमई ऋण के लिए एसएमई 1: 0.50% और एसएमई 2: 0.25% की रेटिंग वाली बाहरी रेटेड (एसएमई रेटिंग) एमएसएमई इकाइयों के लिए ब्याज रियायत से लागू दर अनुमत है।

एमएसएमई **ग्राहकों को फ्लोटिंग रेट ऋण पर लगने वाली अंतिम ब्याज दर**, लागू रेपो रेट + **प्राइम स्प्रेड** से कम नहीं होनी चाहिए।

आईएसओ प्रमाणन के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन:

हमारे बैंक ने एमएसएमई ग्राहकों को आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 10,000/- **एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप** में रुपये देने के लिए एक नीति बनाई है। आईएसओ प्राप्त करने के अलावा प्रमाणन, **कुछ प्रमुख** वित्तीय / निष्पादन **संकेतकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और एमएसएमई ग्राहक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम कट**-ऑफ अंक कुल 100 अंकों में से 60 अंक हैं (विवरण कॉ.का.: एमएसएमई परिपत्र दिनांक 12.02.09 के अनुसार)।

जेडईडी दरें एमएसएमई (जीरो डिफेक्ट एण्ड जीरो इफेक्ट)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमईज़) के बीच जीरो डिफेक्ट एण्ड जीरो इफेक्ट (जेडईडी) को बढ़ावा देना और जेडईडी **रेटेड खातों को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई ऋण खातों के लिए दी जाने वाली निम्नलिखित** रियायतें हैः

जेडईडी श्रेणी	**ब्याज दर रियायत**	**प्रसंस्करण प्रभार में रियायत**
प्लेटिनम	0.25%	50%
हीरा	0.25%	35%
सोना	0.25%	0.25%

अनुमानित वृद्धि (एमएसएमई क्षेत्र)

- यह न्यूनतम होना चाहिए
- **एमएसई क्षेत्र के तहत वर्ष दर वर्ष** 20% की ऋण वृद्धि
- हमें प्रति वर्ष अर्ध शहरी / **शहरी शाखाओं में से प्रत्येक में कम से कम** 5 नए सूक्ष्म, **लघु और मध्यम उद्यमों को औसतन क्रेडिट सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है।**
- एमएसएमई वृद्धि के तहत, **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित** 60% **लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों में व्यवहार्य इकाइयों को उधार देने पर बल दिया जाएगा**
- **सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में** 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि

सीजीटीएमएसई के तहत ऋण गारंटी योजना

ट्रस्ट, **सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र में एकल पात्र उधारकर्ता को** मीयादी ऋण और/**या कार्यशील पूंजी सुविधाओं के** माध्यम से 200 **लाख रूपये से अधिक की ऋण के लिए ऋण सुविधाओं** (निधि आधारित और/या गैर-निधि आधारित) को संपार्श्विक प्रतिभूति और/**या तृतीय पक्ष गारंटी** के बिना कवर करेगा। बशर्ते (i) **भारतीय रिजर्व बैंक के** दिशानिर्देशों के अनुसार **क्रेडिट सुविधा स्टैण्डर्ड और नियमित** (एसएमए नहीं) है और/या (ii) **उधारकर्ता का व्यवसाय या गतिविधि जिसके लिए ऋण सुविधा प्रदान की गई थी**, वह बंद नहीं हुआ है; और/या (iii) **इस संबंध में**, ट्रस्ट से पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना, ऋण सुविधा का उपयोग पूरी तरह या आंशिक **रूप से किसी भी वसूली के लिए अशोध्य या संदिग्ध ऋण के समायोजन के लिए नहीं किया गया है।**

नए "हाइब्रिड सुरक्षा" **उत्पाद के तहत बैंक को क्रेडिट सुविधा के एक हिस्से के लिए संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त करने की** अनुमति दी जाएगी, जबकि क्रेडिट **सुविधा के शेष अरक्षित** हिस्से, अधिकतम 200 **लाख रुपये तक**, को सीजीएस- । के तहत कवर किया जा सकता है। **प्रदत्त ऋण सुविधाओं के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई प्राथमिक प्रतिभूति** के साथ-साथ संपार्श्विक प्रतिभूति पर सीजीटीएमएसई का सममात्रा प्रभार होगा।

गारंटी की सीमा: 01.04.2018 को या **उसके बाद स्वीकृत ऋणों के लिए ट्रस्ट निम्नानुसार गारंटी प्रदान करेगा**:

श्रेणी	ऋण सुविधा के लिए गारंटी की अधिकतम सीमा निम्न है		
	₹5 लाख तक	**₹5 लाख से अधिक एवं ₹50 लाख तक**	**₹50लाख से अधिक एवं ₹200 लाख तक**
सूक्ष्म उद्यम	डिफ़ॉल्ट रूप से ऋण राशि का 85% परंतु अधिकतम ₹4.25 लाख	डिफ़ॉल्ट रूप से ऋण राशि का 75% परंतु अधिकतम ₹37.50 लाख	डिफ़ॉल्ट रूप से ऋण राशि का 75% परंतु अधिकतम ₹150 लाख
महिला उद्यमी / उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित इकाई (सिक्किम सहित) (सूक्ष्म उद्यम के लिए ऋण सुविधा के अलावा ₹5 लाख तक)	**डिफ़ॉल्ट रूप से ऋण राशि का** 80% परंतु अधिकतम ₹40 लाख		
एमएसई रिटेल ट्रेड (₹10 लाख से ₹100 लाख तक)	**डिफ़ॉल्ट रूप से ऋण राशि का** 50% परंतु अधिकतम ₹50 लाख		
अन्य सभी श्रेणी के उधारकर्ता	**डिफ़ॉल्ट रूप से ऋण राशि का** 75% परंतु अधिकतम ₹150 लाख		

अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना (सीईजीएसएससी)

सीईजीएसएससी पर विस्तृत दिशानिर्देश हमारे परिपत्र एडीवी/120 दिनांक 27.09.2017 के अनुसार हैं

सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू)

- सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) का प्रबंधन और संचालन भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली ट्रस्टी कंपनी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा किया जाता है।

- क्रेडिट गारंटी निम्न के लिए उपलब्ध है:

ए) खुदरा व्यापार सहित विनिर्माण / सेवा क्षेत्र के तहत 10 लाख रुपये तक का सूक्ष्म ऋण और संबद्ध कृषि गतिविधियों के लिए ऋण

बी) पीएमजेडीवाई के अंतर्गत स्वीकृत ₹10,000/- की ओवरड्राफ्ट ऋण राशि

सी) स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को एसएचजी शक्ति उत्पाद के तहत 30.01.2021 के बाद मंजूर किए गए ₹10 लाख रुपये से लेकर ₹20 लाख रुपए तक के ऋण सीजीएफएमयू के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे, भले ही एसएचजी सदस्यों की समूह गारंटी की उपलब्धता कुछ भी हो।

स्टैंड अप इंडिया हेतु क्रेडिट गारंटी फ़ंड (सीजीएसएसआई):

- स्टैंड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) का प्रबंधन और संचालन भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली ट्रस्टी कंपनी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा किया जाता है।

- क्रेडिट गारंटी उन सभी एमएसएमई ऋणों के लिए उपलब्ध हैं जो स्टैंड अप इंडिया योजना के मानक के अनुरूप हैं, एकल उधारकर्ता जिसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिलाओं के लिए ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु ₹10 लाख से अधिक एवं ₹100 लाख तक कार्यशील पूंजी सहित, बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा और / या तीसरे पक्ष की गारंटी के उपलब्ध है।

  एमएसएमई क्षेत्र के लिए मार्जिन की आवश्यकताएं निम्न हैं:

क्रम सं.	सुविधा	मार्जिन
1	ओसीसी एवं ओडी/बही ऋण	20%
2	मीयादी ऋण / भूमि एवं भवन	30%
3	सेकंड हैंड मशीनरी	35% इसके अलावा निम्नानुसार 10% छूट की अनुमति है: • ज़ेडएलसीसी के अंतर्गत आने वाले उधार खाते-सीओएलसीसी (जीएम) • सीओएलसीसी (जीएम) के तहत एवं इससे ऊपर संबंधित मंजूरी प्राधिकारी के तहत आने वाले उधार खाते
4	मुद्रा ऋण के लिए मार्जिन की आवश्यकता	• शिशु – शून्य • किशोर – 10% • तरुण – 15%

अन्य मार्जिन आवश्यकताएं समय-समय पर जारी विवेकाधिकार शक्ति बुकलेट के तहत निर्धारित की जाएंगी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबन्धित प्रमुख आंकड़ों के लिए मानक:

कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋण/डीपीजी के लिए वित्तीय मानदंड प्रस्तावों / साथ नए खातों-मौजूदा के साथ)पर लागू(				
प्रसंविदा(कोवेनेंट)	**बेंचमार्क**	**जेडएलसीसी**	**एफजीएमसीएसी**	**सीओएलसीसी (जीएम)**
चालू अनुपात (का.पूं.)	1.00	1.00	1.00	1.00
टीओएल/टीएनडब्ल्यू(का.पूं एवं मी.ऋ.)	6:1	6:1	6:1	6:1
ऋण इक्विटी अनुपात (मी.ऋ)	4:1	5:1	5:1	5:1
डीएससीआर(मी.ऋ.)	औसत 1.50 न्यूनतम 1.25	औसत 1.50 न्यूनतम 1.25	औसत 1.25 न्यूनतम 1.00	औसत 1.00 न्यूनतम 1.00
ब्याज कवरेज अनुपात(का.पूं.)	1.25	1.25	1.10	1.10
अचल संपत्ति कवरेज अनुपात (मी.ऋ.)	1.20	1.20	1.00	1.00
प्रतिभूति कवरेज अनुपात (का.पूं.)	1.20	1.20	1.00	1.00

कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋण/डीपीजी के लिए वित्तीय मानदंड प्रस्तावों / नए खातों) पर लागू(				
प्रसंविदा(कोवेनेंट)	**बेंचमार्क**	**जेडएलसीसी**	**एफजीएमसीएसी**	**सीओएलसीसी (जीएम)**
चालू अनुपात (का.पूं.)	1.10	1.00	1.00	1.00
टीओएल/टीएनडब्ल्यू(का.पूं एवं मी.ऋ.)	5:1	6:1	6:1	6:1
ऋण इक्विटी अनुपात (मी.ऋ)	4:1	5:1	5:1	5:1

डीएससीआर(मी.ऋ.)	औसत 1.50 न्यूनतम 1.25	औसत 1.50 न्यूनतम 1.25	औसत 1.25 न्यूनतम 1.00	औसत 1.00 न्यूनतम 1.00
ब्याज कवरेज अनुपात(का.पूं.)	1.50	1.25	1.10	1.10
अचल संपत्ति कवरेज अनुपात (मी.ऋ.)	1.20	1.20	1.00	1.00
प्रतिभूति कवरेज अनुपात (का.पूं.)	1.20	1.20	1.00	1.00

एमएसएमई ऋणों से संबन्धित वित्तीय / **निष्पादन बेंचमार्क में छूट स्वीकार करने के लिए प्रतिनिधिमंडल**

- कोविड से संबंधित विशेष ऋण योजनाओं के लिए, **कोई विशिष्ट वित्तीय बेंचमार्क तब तक लागू नहीं होगा** जब तक कि उस **विशेष योजना में निर्दिष्ट न किया गया हो।**
- नकद **बजट के आधार पर मूल्यांकन के अधीन शैक्षणिक संस्थानों**, अस्पतालों, होटलों, **स्टार्टअप्स के लिए वर्तमान अनुपात के अनुपालन पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है।**

,

व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (TReDS) :

भारतीय रिजर्व बैंक ने कई वित्तदाताओं के माध्यम से सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के लिए **वित्तपोषण की सुविधा** उपलब्ध कराने हेतु व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) को स्थापित करने और इसके **परिचालन के लिए दिशानिर्देश** जारी किए हैं। TReDS इनवॉइस के साथ-**साथ बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों की छूट की सुविधा प्रदान करेगा।**

टीआरईडीएस(TReDS) के उद्देश्य :

TReDS **प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करना है, जैसे प्राप्तियों को तुरंत भुनाना और क्रेडिट जोखिम को खत्म करना। व्यवसाय के ईको**-सिस्टम में पारदर्शिता **लाते हुए** एमएसएमई का विकास करने **में टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म मुख्य** भूमिका निभाता है। TReDS के तहत होने वाले लेनदेन एमएसएमई के लिए "दायित्व रहित" होंगे।

टीआरईडीएस, **जो समाशोधन और निपटान गतिविधियों का कार्य करता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान और** निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (पीएसएस अधिनियम) **के तहत स्थापित विनियामक रूपरेखा द्वारा संचालित** होगा।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने पर आरबीआई के मास्टर दिशानिर्देश के अनुसार - लक्ष्य और वर्गीकरण दिनांक 04.09.2020, "व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) के माध्यम से होने वाले फैक्टरिंग लेनदेन भी प्लेटफॉर्म के परिचालन पर प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे"। तदनुसार टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के तहत एक्सपोजर को बैंक के एमएसएमई पोर्टफोलियो के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

TReDS प्लेटफॉर्म में पात्र प्रतिभागी:

विक्रेता: एमएसएमई संस्थाएं

खरीदार: प्रतिष्ठित स्वामित्व, फर्म, ट्रस्ट, कॉरपोरेट और अन्य खरीदार जिनमें सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं और ऐसी अन्य संस्थाएं जिन्हें भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय पर अनुमति दी जा सकती है।

वित्तदाता (Financiers): बैंक, एनबीएफसी संस्थाएं, वित्तीय संस्थान और ऐसे अन्य संस्थान जिन्हें भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय पर अनुमति दी जा सकती है।

बैंक द्वारा TReDS प्लेटफॉर्म के साथ वित्तदाता (Financier) के रूप में सूचीबद्ध करना

अब तक भा.रि.बैं ने टीआरईडीएस (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) की स्थापना और परिचालन हेतु निम्नलिखित को मंजूरी दे दी है।

ए) एनएसई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSICL) और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ़ इंडिया (SIDBI), मुंबई – आरएक्सआईएल (RXIL)

बी) एक्सिस बैंक लिमिटेड, मुंबई – इनवॉयसमार्ट

सी) माइंड सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा – एम1 एक्सचेंज

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी टीआरईडीएस परिचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित संस्थाओं की सूची में से किसी भी प्लेटफॉर्म को मंजूरी देने के लिए प्राधिकृत हैं। एमएसएमई के विभाग के महाप्रबंधक/विभाग प्रमुख (डीएच) ऐसे अनुमोदित प्लेटफार्मों पर बैंक को सूचीबद्ध करने और प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों के साथ आवश्यक समझौते को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत हैं।

बैंक द्वारा TReDS प्लेटफॉर्म ऑपरेटर को देय शुल्क जैसे पंजीकरण व्यय, वार्षिक व्यय, लेनदेन शुल्क आदि को कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर के प्राधिकारियों द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसार अनुमोदित किया जाना है ।

टीआरईडीएस के तहत अधिकतम अनुमत एक्सपोजर

- इस प्लेटफॉर्म के तहत छूट वाले बिल एमएसएमई (विक्रेता) के लिए "दायित्व रहित" हैं। इसलिए बोली खरीदारों की संख्या के आधार पर की जानी है। वैयक्तिक खरीदारों की एक्सपोजर सीमा खरीदार की बाहरी रेटिंग, खरीदार की वित्तीय स्थिति सूचना के द्वितीयक स्रोत से (एमसीए साइट, सीमित कंपनियों की

जानकारी को एकत्रित करने के लिए फिनटेक कंपनियों द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म आदि) एकत्रित की गई सूचनाओं, आदि के आधार पर तय की जाएगी।

- **प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी विशेष वित्तीय वर्ष हेतु** TReDS प्लेटफॉर्म में बोली लगाने के लिए बैंक की समग्र सीमा को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत है।

- इस समग्र एक्सपोजर के अंदर, एकल खरीदार के लिए अधिकतम एक्सपोजर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए: **प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमोदित कुल स्वीकृत एक्सपोजर का** 10%। **हालांकि नवरत्न कंपनियों के मामले में एकल खरीदार का एक्सपोजर** 25% तक जा सकता है। हालांकि खरीदारों का यूनिवर्स नीचे दिए गए पैरा के अनुसार बनाया गया है।

खरीदारों के यूनिवर्स की स्वीकृति: खरीदारों का यूनिवर्स प्रतिष्ठित स्वामित्व, फर्मों, ट्रस्टों, कॉर्पोरेट्स और **सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित ऐसी अन्य संस्थाओं से बनाया जाएगा जिन्हें** भारतीय **रिजर्व बैंक द्वारा समय**-समय पर अनुमति दी जा सकती है, निम्नानुसार है।

विवरण	**बेंचमार्क**
उन खरीदारों हेतु जो हमारे बैंक से कोई ऋण सुविधा नहीं ले रहे हैं	(i) न्यूनतम बाहरी रेटिंग 'ए' (+अथवा-)
उन खरीदारों हेतु जो **कम से कम पिछले एक वर्ष से** हमारे बैंक से कोई न कोई ऋण सुविधा ले रहे हैं	• नवीनतम RAM रेटिंग(**संयुक्त**) "बीबीबी" एवं उससे अधिक होनी चाहिए • **बाहरी रेटिंग की आवश्यकता पर जोर न दिया** जाए
बहुराष्ट्रीय कंपनि द यां	• **बाहरी रेटिंग की आवश्यकता पर जोर न दिया** जाए
बीबीबी (+/-) **की बाहरी रेटिंग के साथ सूचीबद्ध** कंपनियां	**टीएमसी बीबीबी रेटिंग वाली सूचीबद्ध कंपनियों के यूनिवर्स को अनुमोदित करेगा जिनके लिए बैंक** TReDS लेनदेन हेतु एक्सपोजर लेगा
राज्य सरकार/ केन्द्रीय सरकार	**बाहरी रेटिंग की आवश्यकता पर जोर न दिया जाए**
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ **केन्द्रीय** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	बाहरी रेटिंग के बावजूद , **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को** CRILC में पिछले एक वर्ष में (तकनीकी कारणों के अलावा) एसएमए-1/एसएमए-2 घोषित नहीं किया गया हो

वैयक्तिक खरीदारों के लिए एक्सपोजर को निम्नलिखित द्वारा अनुमोदित किया जाना है: -

उन खरीदारों **के लिए जो हमारे बैंक के साथ किसी भी ऋण सुविधा/ओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं**:

उन खरीदारों के यूनिवर्स, **जिन पर बिल तैयार किए गए हैं**, को अनुमोदन देने के लिए **आवश्यक मार्जिन** सहित बोर्ड **द्वारा अनुमोदित समग्र सीमाओं और उप**-सीमाओं के भीतर, समय-समय पर और सीओ: एमएसएमई विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए नोट के आधार पर सीओएलसीसी (जीएम) द्वारा **छूट दी जानी है। वैयक्तिक सीमा तय करने के लिए**

नोट रखते समय, कंपनी की बाहरी रेटिंग, कंपनी की वित्तीय स्थिति, **कंपनी के मौजूदा बिलों में छूट और उनके** प्रदर्शन, **कंपनी के बारे में बाजार रिपोर्ट**, यदि कोई हो, आदि पर नोट में चर्चा की जाएगी।

खरीदारों के लिए जो हमारे बैंक के साथ क्रेडिट सुविधा/ओं का लाभ उठा रहे हैं और सीओएलसीसी (जीएम) के स्तर **तक संस्वीकृत प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत है** – उनके लिए उपरोक्त के आधार पर सीओएलसीसी (जीएम) प्राधिकारी होगी।

उन **खरीदारों के लिए जो हमारे बैंक के साथ क्रेडिट सुविधा का लाभ उठा रहे हैं और सीओएलसीसी** (जीएम) स्तर से ऊपर के अधिकारी द्वारा संस्वीकृत है।

उन खरीदारों के यूनिवर्स, **जिन पर बिल तैयार किए गए हैं, को अनुमोदन देने के लिए आवश्यक मार्जिन** सहित बोर्ड द्वारा अनुमोदित **समग्र सीमाओं और उप**-सीमाओं के भीतर, समय-समय पर और सीओ: **एमएसएमई विभाग द्वारा** प्रस्तुत किए गए नोट के आधार पर सीओएलसीसी (ईडी) द्वारा छूट दी जानी है।

टीआरईडीएस (TReDS) के अंतर्गत एक्सपोजर एवं जोखिम का प्रबंधन:

सभी संस्थाओं (**विक्रेताओं और खरीदारों**) से केवाईसी दस्तावेजों **की प्राप्ति और केवाईसी का सत्यापन टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों द्वारा** इन्हें प्लेटफॉर्म में ऑन-**बोर्ड करने से पहले किया जाता है।** TReDS **प्लेटफॉर्म ऑपरेटर केवाईसी दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए वित्तदाताओं** (बैंक, एनबीएफसी आदि) को सक्षम बनाता है।

TReDS प्लेटफॉर्म और MSME **विक्रेता एवं** TReDs **प्लेटफॉर्म और खरीदारों के बीच किए गए समझौतों की** प्रतियों को भी वित्तदाताओं द्वारा प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किए जाने हेतु एनेबल किया गया है।

मूल रूप से खरीदारों का चयन उपलब्ध बाहरी रेटिंग और प्लेटफॉर्म में क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट पर भी निर्भर करता है।

डिस्काउंट वाले बिलों को सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (CERSAI) के साथ पंजीकृत किया जाना है, जिसमें बैंक के शुल्क का विवरण दिया गया है।

किसी भी क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए

- **खरीदार पर एक्सपोजर तय करने से पहले खरीदार और उद्योग के बारे में मार्केट रिपोर्ट को सत्यापित किया** जाना चाहिए।
- चूककर्ताओं की सूची / **सीआरआईएलसी रिपोर्ट सत्यापित की जाएगी।**
- TReDS प्लेटफॉर्म पर **खरीदार का ट्रैक रिकॉर्ड**, यदि कोई हो, **सत्यापित किया जाना है।**

खरीदार की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए

- खरीदार द्वारा देय तिथि पर भुगतान में किसी भी चूक के मामले में, बैंक TReDs प्लेटफॉर्म और खरीदारों के बीच किए गए समझौतों, जिसे बैंक द्वारा प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया जा सकता है, के आधार पर खरीदार के विरुद्ध सरफेसी कार्रवाई और विधिक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

विक्रेता पक्ष से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए, ट्रेडस (TReDS)प्लेटफॉर्म द्वारा यादृच्छिक लेखापरीक्षा की जाती है। इसकी रिपोर्ट/प्रमाण पत्र प्राप्त की जाए और एमएसएमई विभाग द्वारा उसकी आवधिक समीक्षा की जाए।

भुनाए जानेवाले बिल के लिए ब्याज दर का अनुमोदन

- वैयक्तिक क्रेताओं अथवा रेटिंगवार श्रेणी के क्रेताओं के बिलों की भुनाई के लिए न्यूनतम ब्याज दर अथवा बैंड के अनुमोदन हेतु आस्ति देयता समिति (एल्को) प्राधिकृत है ।
- किसी भी क्रेता हेतु ब्याज की अनुकूलतर दर का अनुमोदन कार्यपालक निदेशक (आस्ति देयता प्रबंधन समिति को सूचित किया जाए)/आस्ति देयता प्रबंधन समितिद्वारा किया जाएगा।
- कार्यपालक निदेशक द्वारा प्रदत्त अनुमोदन 15 दिनों की अवधि अथवा कार्यपालक निदेशक द्वारा निर्धारित किसी अन्य समाप्ति तिथि तक के लिए मान्य होगा।कॉ. का : एमएसएमई विभाग द्वारा ब्याज दरों के ऐसे अनुमोदन के लिए आवधिक रूप से आस्ति देयता समिति (एल्को)के समक्ष नोट प्रस्तुत किया जाएगा।
- प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करते समय, प्लेटफॉर्म में वैयक्तिक बिलों के लिए ब्याज दर का निर्धारण चेकर द्वारा किया जाएगा।

ट्रेडस (TReDS)प्लेटफॉर्म मेंआस्ति देयता समिति (एल्को)द्वारा अनुमोदित ब्याज दर से नीचे भुनाए गए बिलों के लिए अनुकूलतर ब्याज दर के अनुमोदन हेतु प्राधिकारी:-

अनुकूलित ब्याज दर अनुमोदन प्राधिकारी / के पक्ष में आहरित बिल	कार्यात्मक विभागीय महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.25% तक	0.50% तक
कॉर्पोरेट	0.50% तक	1.00 % तक

ट्रेडस (TReDS) प्लेटफॉर्म में परिचालन:क्रेता-वार एक्सपोजर, अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी संबंधी प्रभावी नियंत्रण हेतु एकल स्थान (कॉर्पोरेट कार्यालय, एमएसएमई विभाग) में ट्रेडस (TReDS) प्लेटफॉर्म में परिचालन (प्लेटफॉर्म में सीमा का निर्धारण, बोली की प्रक्रिया आदि) तथा एक ही शाखा (वर्तमान में थाउजेंड लाइट शाखा) में एक्सपोज़र की पार्किंग की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

एमएसएमई ऋणों की पुनर्रचना :

भाग I - एमएसएमई ऋण जो 'दबावग्रस्त' हैं, लेकिन यथास्थिति 01.03.2020 को रुपये 25 करोड़ तक के सकल एक्सपोजर(निधि आधारित + गैर-निधि आधारित) सहित 'मानक' श्रेणी में हैं।

पात्रता/प्रयोज्यता

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीओआर. सं. बीपी. बीसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एमएसएमई अग्रिमों की एकबारगी पुनर्रचना की सुविधा प्रदान की गई है। इससे पहले, 11 फरवरी,2020 और 01 जनवरी,2019 के भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्रों के माध्यम से निर्धारित मानदंडों के साथ एकबारगीपुनर्रचना की अनुमत की गई थी।

तदनुसार, आस्ति वर्गीकरण में गिरावट के बिना 'मानक' के रूप में वर्गीकृत एमएसएमई को प्रदत्त मौजूदा ऋणों की एकबारगी पुनर्रचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुमत है:-

- यथास्थिति 1 मार्च, 2020 को उधारकर्ता को बैंकों और एनबीएफसी का गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित सकल एक्सपोज़र ₹ 25 करोड़ से अधिक नहीं है।
- उधारकर्ता का खाता चूक (डिफ़ॉल्ट) में था, लेकिन 1 मार्च, 2020 तक खाता एक **'मानक आस्ति'**था।
- उधारकर्ता खाते की पुनर्रचना मार्च 31,2021 तक कार्यान्वित की गई है।
- उधार लेने वाली संस्था पुनर्रचना के कार्यान्वयन की तिथि को जीएसटी-पंजीकृत है। हालांकि, यह शर्त उन एमएसएमई पर लागू नहीं होगी, जिन्हें जीएसटी-पंजीकरण से छूट प्राप्त है। इसका निर्धारण यथास्थिति 1 मार्च, 2020 को लागू छूट सीमा के आधार पर किया जाएगा।
- मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के आस्ति वर्गीकरण को उसी रूप में रखा जा सकता है, जबकि 2 मार्च, 2020 और कार्यान्वयन की तारीख के बीच एनपीए श्रेणी में आने वाले खातों को पुनर्रचना योजना के कार्यान्वयन की तारीख को 'मानक आस्ति' के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है। आस्ति वर्गीकरण लाभ केवल तभी उपलब्ध होगा, जब इस खंड में यथा उल्लिखित रूप में पुनर्रचना की जाएगी।
- इन दिशानिर्देशों के तहत पुनर्रचित खातों के संबंध में पहले से ही धारित प्रावधान के अतिरिक्त 5% का प्रावधान किया जाएगा। तथापि, निर्दिष्ट अवधि के अंत में इस तरह के प्रावधान को वापस लेने का विकल्प बैंक के पास होगा, बशर्ते निर्दिष्ट अवधि के दौरान खाते का निष्पादन संतोषजनक रहा हो।

- पुनर्रचना के बाद इन खातों का एसएमए/एनपीए वर्गीकरण मौजूदा आईआरएसी मानदंडों के अनुसार होगा।
- बैंक इन निर्देशों के तहत एमएसएमई खातों से संबंधित "लेखा टिप्पण" के अंतर्गत वित्तीय विवरण में उचित प्रकटीकरण करेगा।

परिपत्र संख्या 134/2018-19 दिनांक 09.01.2019 (आरबीआई परिपत्र दिनांक 01.01.2019) के अनुसार जिन खातों की पुनर्रचना पहले ही की जा चुकी है, वे संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्रचना के लिए अपात्र होंगे।

दबावग्रस्त एमएसएमई की पहचान:नीचे दी गई तालिका के अनुसार विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) श्रेणी के तहत तीन उप-श्रेणियां बनाकर खाते में प्रारंभिक दबाव की पहचान की जाएगी :-

एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार
एसएमए-0	मूलधन या ब्याज भुगतान 30 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय नहीं है लेकिन खाता प्रारंभिक दबाव के संकेत दिखा रहा है।
एसएमए-1	31-60 दिन के बीच खाते में मूलधन या ब्याज भुगतान अतिदेय है ।
एसएमए-2	61-90 दिन के बीच खाते में मूलधन या ब्याज भुगतान अतिदेय है ।
	खाता दबाव में है, भारतीय रिजर्व बैंक के वितरण का लाभ लिया और मानक में वर्गीकृत है

सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी)

निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार ऋण की मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) तय की जाएगी:

सुधार: खातों को नियमित करने के लिए विशिष्ट कार्रवाई और समय-सीमा का अनुमोदन किया जाना, ताकि खाता अनियमितता से बाहर आ जाए और इसमें दृश्यमान नकदी प्रवाह दिखे। सुधार के एक भाग के रूप में उधारकर्ता को आवश्यकता आधारित अतिरिक्त वित्तपोषण किया जा सकता है।

पुनर्रचना:जो खाते **अर्थक्षम्य हैं और उधारकर्ता इरादतन चूककर्ता** (विलफुल डिफॉल्टर) **अर्थात** – निधियों का कोई विपथन (डायवर्जन) **या धोखाधड़ी या दुर्भावना आदि**, नहीं है, **उन खातों के मामले में पुनर्रचना पर विचार किया जा** सकता है।

वसूली: **यदि सुधार या पुनर्रचना संभव नहीं है**, तो समिति वसूली प्रक्रिया के संबंध में **निर्णय ले सकती है।**

यदि सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) द्वारा पुनर्रचना की जा रही है, तो अर्थक्षमता अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

समय सीमा :

यदि सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) द्वारा पुनर्रचना की जा रही है, तो ऋण से संबंधित **संस्वीकृतिकर्ता** प्राधिकारी द्वारा एक विस्तृत टीईवी अध्ययन कराया जाएगा और रुपये 10 **करोड़ तक के जोखिम वाले खातों के लिए** 20 कार्य दिवसों के भीतर और रुपये 10 **करोड़ से रुपये** 25**करोड़ तक के जोखिम वाले खातों के लिए** 30 कार्य-दिवसों के भीतर पुनर्रचना की शर्तों को अं**तिम रूप** दिया जाएगा। संबंधित उद्यम को पांच कार्य-दिवसों के भीतर इसकी सूचना दी जानी चाहिए। **यदि सीएपी पुनर्रचना** की जा रही है तो सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी)की शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत, बैंक द्वारा 90 दिनों के भीतर इसका कार्यान्वयन पूरा किया जाना चाहिए।

टीईवी अध्ययन:

हमारे बैंक की ऋण पुनर्रचना नीति 2015-16 के अनुसार, "साधारण पुनर्निर्धारण वाले उधार खातों के मामले में, जहाँ यूनिट परिचालन में है, वहाँ **टीईवी अध्ययन** कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, **पुनर्नरचना के उन मामलों** में, जिनमें **अनियमितताओं के वित्तपोषण सहित** अधित्याग किया जाना भी शामिल हो, **जहाँ कहीं भी आवश्यक हो**, आईडीओ/सीआरएम/**बाहरी एजेंसी द्वारा टीईवी अध्ययन** कराया जा सकता है।"

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए,

1. यदि चुकौतीकार्यक्रम की साधारण पुन:चरणबद्धता /पुनर्निर्धारण हुआ है तो, एक्सपोज़र चाहे जितना भी हो, टीईवी **अध्ययन कराए जाने की** आवश्यकता नहीं है ।
2. यदि डब्ल्यूसीटीआईएल, **एफआईटीएल आदि का गठन हुआ हो**, और यदि **अधित्याग किया गया** है, तो -

   ए. रुपये 10 **करोड़ तक के एक्सपोज़र वाले खातों के लिए सीआरएम द्वारा टीईवी अध्ययन किया जाएगा।**

   बी. रुपये 10 **करोड़ से अधिक और रुपये** 25 करोड़ तक के एक्सपोज़र वाले खातों के लिए आइडीओ द्वारा टीईवी अध्ययन किया जाएगा।

पुनर्रचना हेतु संस्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी:

उन खातों के मामलों में जहाँ कोई अधित्याग नहीं हो, अथवा केवल साधारण पुनर्निर्धारण हो, संबंधित संस्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए निर्णय /सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी)का कार्यान्वयन किया जाएगा।

ऋण और ऋण से संबंधित प्रशासनिक शक्तियां पुस्तिका में यथा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा निर्णय / सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) का कार्यान्वयन किया जाएगा।

रियायतें :-

भारतीय रिजर्व बैंक की ढांचागत नीति दिनांक 01.01.2020 में संभावित रूप से व्यवहार्य इकाइयों के पुनर्वास के लिए राहत और रियायतों का उल्लेख नहीं किया गया है।

इन एमएसएमई की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो दबावग्रस्त हैं, लेकिन, अभी भी मानक हैं, एनपीए खाते के लिए अपेक्षित स्तर तक रियायतें अनिवार्य नहीं हो सकती हैं। इसलिए, नियमित सीमा के लिए अधिकांशत: कार्ड दर निर्धारित किया जाता है। डब्ल्यूसीटीएल और एफआईटीएल के मामले में, एमएसई के लिए एमसीएलआर+0.50% और मध्यम उद्यमों के लिए एमसीएलआर+0.75% की विशेष दर को मंजूरी दी गई है।

देय की प्रकृति	सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए एमसीएलआर (एक वर्ष) से जुड़ी राहत की अनुमति	मध्यम उद्यमों के लिए एमसीएलआर (एक वर्ष) से जुड़ी राहत की अनुमति
कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण	एमसीएलआर+0.50 %	एमसीएलआर+0.75%
निधिक ब्याज मीयादी ऋण (कार्यशील पूंजी एवं मीयादी ऋण)	एमसीएलआर+0.50 %	एमसीएलआर+0.75%
निधिक नकद घाटे	एमसीएलआर+0.50 %	एमसीएलआर+0.75%
आकस्मिकता ऋण (पुनर्वास की लागत के 15% तक)	कार्ड दर	कार्ड दर

नोट: कतिपय मामलों में, उपरोक्त दरें कार्ड दर से अधिक हो सकती हैं, अत: उपरोक्त दरों या कार्ड दरों में से सबसे कम वाली दर प्रयोज्य दर होगी ।

- कार्यान्वयन की तारीख तक ब्याज का वित्तपोषण।
- सभी रियायतें वार्षिक समीक्षा के अधीन हैं और जहां परिचालन से उत्पन्न नकद अधिशेष अनुमानित स्तरों से अधिक है, बैंक त्वरित चुकौती पर निर्णय लेने के अलावा दी जाने वाली राहत/रियायतों की मात्रा की समीक्षा करेगा।
- लेखा वर्ष से दंडात्मक ब्याज छूट, जिसमें निरंतर नकद घाटा शुरू होता है।
- बैंक के पास प्रतिपूर्ति का अधिकार होगा।

विनिर्दिष्ट अवधि:

'विनिर्दिष्ट अवधि' का अर्थ है पुनर्रचना पैकेज के निबंधनों के तहत ऋणस्थगन की लंबी अवधि के साथ ऋण सुविधा पर ब्याज या मूलधन के पहले भुगतान की शुरुआत से एक वर्ष की अवधि, जो भी बाद में हो, है । 'संतोषजनक प्रदर्शन' का अर्थ है कि कोई भुगतान (ब्याज और/या मूलधन) 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय नहीं रहेगा। नकद जमा/ ओवरड्राफ्ट खाते के मामले में, संतोषजनक प्रदर्शन का अर्थ है कि खाते में बकाया 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

चुकौती हेतु समय सीमा:

- पुनर्रचित (पिछले) ऋणों की चुकौती अवधि सामान्यतः पैकेज के कार्यान्वयन की तारीख से सात वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और असाधारण मामलों में इसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- राहतों/रियायतों की अवधि सामान्यतः पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और असाधारण मामलों में इसे सात वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
- निधिक ब्याज मीयादी ऋण (एफ़आईटीएल) की चुकौती अवधि सामान्यतः पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और यदि अनुमानित नकदी प्रवाह के लिए लंबी चुकौती अवधि की आवश्यकता होती है तो इसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसी चुकौती समान मासिक / त्रैमासिक किस्तों में होगी।

- कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) के लिए चुकौती अवधि सामान्यतः **पाँच वर्ष** से अधिक नहीं **होनी चाहिए और यदि अनुमानित नकदी प्रवाह के लिए लंबी चुकौती अवधि की आवश्यकता होती है तो इसे** सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

- ब्याज रहित/कम **ब्याज वाली सुविधा को चुकौती में प्राथमिकता दी जाएगी।**

भाग – II- अन्य एमएसएमई, जो भाग - I के तहत शामिल नहीं है।

पात्रता:

इस ढांचे में किए गए प्रावधान उन एमएसएमई खातों पर लागू होंगे, जिनका एक्सपोजर रुपये 25 करोड़ से अधिक का है, **जिसमें कंसोर्टियम या बहु बैंकिंग व्यवस्थाएं** (एमबीए) के तहत आनेवाले **खाते शामिल हैं। इसके अलावा** यह **प्रावधान उन सभी एमएसएमई खातों पर लागू** हैं, जो भाग – I में शामिल नहीं किए गए है, **जिनमें एनपीए श्रेणी के तहत** आनेवाले खाते शामिल हैं। **पुनर्रचना के बाद खाते के** आस्ति **वर्गीकरण को एनपीए में डाउनग्रेड किया जाना चाहिए।**

प्रारंभिक दबाव की पहचान

बैंकों द्वारा पहचान- सूक्ष्म, **लघु और मध्यम उद्यम के ऋण खाते को** अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में बदलने से पहले, **बैंकों को निम्नानुसार विशेष उल्लेख खाता** (एसएमए) श्रेणी के तहत तीन उप-श्रेणियां बनाकर **खाते में प्रारंभिक दबाव** की पहचान करनी चाहिए:

एसएमए उप श्रेणी	**वर्गीकरण का आधार**
एसएमए-0	**मूलधन या ब्याज का भुगतान** 30 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय नहीं है लेकिन **खाता प्रारंभिक** तनाव के संकेत दिखा रहा है।
एसएमए-1	**मूलधन या ब्याज का भुगतान** 31 से 60 दिनों के बीच अतिदेय है।
एसएमए- 2	**मूलधन या ब्याज का भुगतान** 60 से 91 दिनों के बीच अतिदेय है।
	दबावग्रस्त खाते, आरबीआई छूट का लाभ उठाया गया हो और जिसे मानक आस्ति **के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।**

उपर्युक्त **प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के आधार पर**, जिस शाखा में ऐसे खाते हों, **उस शाखा द्वारा** पाँच कार्य-दिवसों के भीतर रुपये 10 **लाख से अधिक की कुल ऋण सीमा वाले दवाबग्रस्त खातों को उपयुक्त सुधारात्मक** कार्य योजना (सीएपी) **के लिए समिति कोअग्रेषित करने पर विचार करना चाहिए। एसएमए-2 के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों के** मामलों में सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) **हेतु समिति को खातों को अग्रेषित करना अनिवार्य होगा।**

सुधारात्मक कार्य योजना हेतु पहचान

खाता रखने वाले ऋणदाता / शाखा **द्वारा इसकी पहचान की जानी चाहिए तथा सुधारात्मक कार्य योजना** के लिए जाँच करने हेतु इसे समिति को भेजा जाना चाहिए। । **एमएसएमई उधारकर्ता स्वेच्छा से भी इस ढांचे के तहत कार्यवाही शुरू** कर सकते हैं।

सुझाई गई सुधारात्मक कार्य योजनाएं (सीएपी) निम्नानुसार हैं:

सुधार:- **खातों को नियमित करने के लिए विशिष्ट कार्रवाइयों और समय**-सीमा का अनुमोदन किया जाना, ताकि खाता अनियमितता से बाहर आ पाए और **इसके प्रमाणस्वरूप** पहचान योग्य नकदी प्रवाह **दृष्टिगत होना** चाहिए। सुधार के एक हिस्से के रूप में उधारकर्ता को **आवश्यकता आधारित अतिरिक्त वित्त**पोषण भी किया जा सकता है।

पुनर्रचना: जहाँ उधारकर्ता कोई **इरादतन चूककर्ता नहीं** हो, अर्थात् -धन का कोई विपथन या धोखाधड़ी या दुष्कृत्य आदि नहीं हुआ हो, उन **व्यवहार्य खातों के मामले में पुनर्रचना पर विचार किया जा सकता है**।

वसूली: यदि सुधार **या पुनर्रचना संभव नहीं है**, तो समिति वसूली प्रक्रिया पर निर्णय ले सकती है।

रु. 10 लाख तक के खाते:

एसएमए 2 **के रूप में पहचान किए गए खातों** की **शाखा द्वाराही सीएपी के लिए अनिवार्य रूप से जांच** की जानी चाहिए और समुचित सीएपी का निर्णय किया जाना चाहिए।

रु. 10 लाख से अधिक के खाते:

पहचान किए गए खातों **को दबावग्रस्त एमएसएमई समिति को** संदर्भित किया **जाएगा। बैंक द्वारा क्षेत्रीय**/अंचल स्तर पर **समिति का गठन किया जाएगा। समिति के सदस्य** निम्नवत होंगे –

ए. **संयोजक बैंक के क्षेत्रीय या अंचल प्रबंधक** समिति के अध्यक्ष होंगे।

बी. क्षेत्रीय/**अंचल स्तर पर संयोजक बैंक के एमएसएमई विभाग के प्रभारी समिति के सदस्य एवं** संयोजक होंगे।

सी. **एमएसएमई से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता** वाले एक स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञ को बैंक द्वारा नामित किया जाएगा।

डी. संबंधित राज्य **सरकार का एक प्रतिनिधि। संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधि को समिति में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि राज्य सरकार किसी सदस्य को नामित नहीं करती है, तो संयोजक बैंक को एक स्वतंत्र विशेषज्ञ**, अर्थात् किसी अन्य बैंक के **सेवानिवृत्त** सहायक महाप्रबंधक एवं उससे **ऊपर के कार्यपालक को समिति में शामिल करने हेतु कार्यवाही** करनी चाहिए।

ई. संघीय व्यवस्था (**कंसोर्टियम**) अथवा बहु-बैंकिंग व्यवस्था (एमबीए) के तहत खातों के संबंध में **कार्रवाई करने के मामलों में** सभी बैंकों/ऋणदाताओं, **जिनका उधारकर्ता के साथ एक्सपोजर है**, उनके वरिष्ठ प्रतिनिधि ।

एमएसएमई से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता के साथ स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञ के मामले में (मद संख्या - ग), यह प्रस्तावित है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट/ **समवर्ती लेखा परीक्षकों सहित किसी भी बाहरी विशेषज्ञ को**, यदि एमएसएमई से संबंधित मामलों में पर्याप्त विशे**षज्ञता है**, तो उन्हें समिति में नामित किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार के प्रतिनिधि के मामले में (मद संख्या - घ), **अंचल प्रबंधक को नामांकन के लिए संबंधित राज्य सरकार के विभाग को लिखना चाहिए। यदि राज्य सरकार नामांकित नहीं करती है, तो समिति में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ**, अर्थात् **किसी अन्य बैंक के सेवानिवृत्त कार्यपालक जो** सहायक महाप्रबंधक और उससे ऊपर के पद के हों, को शामिल किया जा सकता है।

स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञ और किसी अन्य बैंक के सेवानिवृत्त कार्यपालक जो सहायक महाप्रबंधक और उससे ऊपर के पद के हो (यदि राज्य सरकार नामित नहीं करती है), को नामित करने /की **नियुक्ति की शक्तियांजेडएलसीसी** में **निहित होगी। समिति में चार्टर्ड एकाउंटेंट और स्वतंत्र विशेषज्ञ** अर्थात **किसी अन्य बैंक के सेवानिवृत्त कार्यपालक जो** सहायक महाप्रबंधक और उससे ऊपर के पद के हो (राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधि को नामित नहीं करने के मामले में),की नियुक्ति/की **नामांकन की अवधिएक वर्ष की होगी, जो एक वर्ष पूरा होने के बाद समीक्षा के** अध्यधीन होगी। **प्रत्येक व्यक्ति के लिए बैठक शुल्क रुपये** 3000/- प्रति बैठक होगा। तथापि, **सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि को बैठक** शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा

सभी कार्यवाही को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और उधारकर्ता को इसकी विधिवत सूचना दी जानी चाहिए।

समय सीमाएं:

जब उधारकर्ता स्वेच्छा से सुधारात्मक **कार्य** योजना (सीएपी) के लिए संपर्क करता है, तो ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर ऋणदाता द्वारा इसे **समिति को संदर्भित** किया जाना चाहिए और समिति को ऐसे **आवेदन की प्राप्ति से पांच कार्य**-दिवसों के भीतर अपनी बैठक बुलानी चाहिए।

जब बैंक द्वारा आवेदन दायर किया जाता है और समिति द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो समिति द्वारा पाँच कार्य-दिवसों के भीतर उद्यम को सूचित किया जाना चाहिए और सभी देनदारियों का जवाब/**प्रकटीकरण की माँग की** जानी चाहिए। यदि उद्यम द्वारा **पंद्रह कार्य**-दिवसों के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है, तो समिति द्वारा एकपक्षीय निर्णय लिया जा सकता है।

यदि सूचना प्राप्त होती है, तो **अभ्यावेदन प्राप्त करने हेतु** नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह कार्य-दिवसों के भीतर सांविधिक लेनदारों को नोटिस भेजा जाता है। (ऐसा **केवल उद्यम की कुल देयता का निर्धारण करने के लिए** किया जाता है, न कि **उधारदाताओं द्वारा उसी के भुगतान के लिए**)। किसी विशिष्ट उद्यम के लिए पहली बैठक बुलाने के 30 दिनों के भीतरसमिति द्वारा सीएपी के संबंध में **निर्णय** लिया जाएगा।

यदि सीएपी द्वारा पुनर्रचना की जाती है, तो समिति एक विस्तृत टीईवी अध्ययन कराया जाएगा **और रुपये** 10.00 करोड़ **तक के एक्सपोजर वाले खातों के लिए** 20 कार्य दिवसों के भीतर और रुपये 10.00 **करोड़ से अधिक एवं रुपये** 25.00 **करोड़ तक के एक्सपोजर वाले खातों के लिए** 30 कार्य दिवसों के भीतर पुनर्रचनाकी **शर्तों** को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसकी सूचना **उद्यम को पांच कार्य दिवसों के भीतर** दी जानी चाहिए। सीएपी की **शर्तों** को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत, यदि सीएपी सुधार है तो 30 दिनों के भीतर और यदि सीएपी पुनर्रचनाहै तो 90 दिनों के भीतर,बैंक **द्वारा कार्यान्वयन को पूरा किया जाना चाहिए।**

टीईवी अध्ययन:

साधारण **पुनर्निर्धारण और परिचालनगत इकाई वाले** उधार खातों के मामलों में **टीईवी अध्ययन की कोई आवश्यकता** नहीं है।

अनियमितताओं के वित्तपोषण सहित घाटे से जुड़े मामलों की पुनर्रचना के संबंध में, जहां कहीं भी आवश्यक हो, टीईवी अध्ययन कराया जा सकता है। ऋण नीति के अनुसार, रुपये 25 **करोड़ तक के एक्सपोजर के लिए टीईवी अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। तथापि**, मामलों की जटिलता के आधार पर, अंचल प्रबंधकों **द्वारा** आईडीओ अथवा किसी बाहरी एजेंसी से **टीईवी अध्ययन** कराने की आवश्यकता पर निर्णय लिया जाएगा।

कार्यान्वयन हेतु शक्तियां

जेडएलसीसीकी शक्तियों के तहत आने वाले क्रेडिट एक्सपोजर / घाटे की राशि वाले खातों के मामले में दबावग्रस्त एमएसएमईके लिए समिति के निर्णय / सीएपीका क्रियान्वयन **जेडएलसीसीद्वारा किया जाएगा। ज़ेडएलसीसीकी** शक्तियों से अधिक क्रेडिट एक्सपोजर / घाटे की राशि वाले खातों के मामले में, **समिति के निर्णय** / सीएपी को संबंधित संस्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा **क्रियान्वित** किया जाएगा।

ऋण और ऋण संबंधी प्रशासनिक **शक्तियां पुस्तिका** में यथा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार**संस्वीकृतिकर्ता** प्राधिकारी द्वारा निर्णय/सीएपी को क्रियान्वित किया जाएगा।

राहत

उधार का स्वरूप	**सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) हेतु एमसीएलआर से लिंक अनुमत रियायत**	**मध्यम उद्यमों हेतु एमसीएलआर से लिंक अनुमत रियायत**
कार्यशील पूंजी	एमसीएलआर+2.45%	एमसीएलआर+2.95%
कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण	एमसीएलआर+0.95% से एमसीएलआर+2.45%	एमसीएलआर+1.45% से एमसीएलआर+2.95%
निधिक ब्याज मीयादी ऋण(कार्यशील पूंजी एवं मीयादी ऋण)	**पूर्ण ब्याज** राहत का अधिकतम	पूर्ण ब्याज राहत का अधिकतम
निधिक नकद हानि	एमसीएलआर+0.95%	एमसीएलआर+1.45%
मौजूदा मीयादी ऋण	**प्रलेखित दर से** 3% कमतक	प्रलेखित दर से 2% कमतक
प्रमोटर का अंशदान	**बैंक** के अधित्याग का न्यूनतम 20% **अथवा पुनर्गठित ऋण का** 2%, जो भी अधिक हो	बैंक के अधित्याग **का न्यूनतम** 20% **अथवा पुनर्गठित ऋण का** 2%, जो भी अधिक हो
आकस्मिक ऋण (पुनर्वास की लागत के 15% तक)	एमसीएलआर+2.45%	एमसीएलआर+2.95%

नोटः-कुछ मामलों में **उक्त दरें कार्ड दर से अधिक हो सकती है**, लागू दर, **उक्त दरों अथवा कार्ड दरों में से सबसे** कम होगी।

- कार्यान्वयन की तारीख तक निधिक ब्याज।
- सभी रियायतें वार्षिक समीक्षा के अध्यधीन हैं और जहां परिचालन से उत्पन्न नकद अधिशेष अनुमानित स्तरों से अधिक है, वहाँ बैंक त्वरित पुनर्भुगतान पर निर्णय लेने के अलावा, दी जाने राहत/रियायतों की मात्रा की समीक्षा करेगा।
- उस लेखा वर्ष से दंडात्मक ब्याज छूट जिसमें निरंतर नकद हानियां प्रारंभ होती हैं।

चुकौती हेतु समयावधि:

- पुनर्रचित ऋणों की चुकौती अवधि सामान्यतः पैकेज के कार्यान्वयन की तारीख से सात वर्ष से (पिछले) अधिक नहीं होनी चाहिए और असाधारण मामलों में इसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- राहतरियायतों की अवधि सामान्य रूप से पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और अ/साधारण मामलों में इसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- निधिक ब्याज मीयादी ऋण (एफआईटीएल) की चुकौती अवधि आमतौर पर पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और अगर अनुमानित नकदी प्रवाह के लिए लंबी चुकौती अवधि की आवश्यकता होती है तो इसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसी चुकौती समान मासिक /तिमाही किस्तों में होगी।
- डब्ल्यूसीटीएल के लिए चुकौती अवधि आम तौर पर पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और अगर अनुमानित नकदी प्रवाह के लिए लंबी चुकौती अवधि की आवश्यकता होती है तो इसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- पुनर्भुगतान में ब्याज रहित/कम ब्याज अर्जित करने वाली सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी।